18-1-2017 पत्रावली पेश हुयी प्रार्थी व अधिवक्ता
उपस्थित विपक्षीगण उपस्थित नहीं है
एकतरफा कार्यवाही की जाती है
प्रार्थी के प्रार्थनापत्र स्वीकार किया
जाता है निर्णय संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

22-12-17 वकील प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 152 जा० फौ० का प्रस्तुत
किये जाने से पत्रावली रिकॉर्ड से तलब की गयी। पत्रावली पेश
हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीया ने
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया
की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने
कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में आराजी नं०
10/1 रकबा 3 बीघा दर्ज है जबकि निर्णय में आराजी नम्बर रकबा
ही गलत कारण प्रार्थना पत्र की ~~[illegible]~~ मद नं० 1 में केवल आराजी नं०
10/1 रकबा 3 बीघा दर्ज होना चाहिये। किन्तु सहवन से रकबा कम
के कारण आराजी नं० 58 रकबा 12 बिस्वा, 59 रकबा 1 बीघा
14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के बजाय आराजी
नं० ~~[illegible]~~ 10/1 रकबा 3 बीघा दर्ज होना चाहिये। ~~[illegible]~~ इस कारण
संशोधन करने का आदेश प्रदान फरमावें।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र की बहस
पर मनन किया गया। न्याय हित में वकील प्रार्थीया द्वारा धारा
152 जा० फौ० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक
29-11-17 में आराजी नं० 58 रकबा 12 बिस्वा, 59 रकबा 1 बीघा 14
बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के बजाय आराजी नं०
10/1 रकबा 3 बीघा ~~[illegible]~~ संशोधित किये
जाने का आदेश किया जाता है उसी प्रकार ~~[illegible]~~ संशोधन
किया जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार
की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner